राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय,राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(3370) आ.कृ/23414-23539 दिनांक : 31/3/22

समस्त उप निदेशक कृषि (वि.)/उद्यान/एटीसी।
समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि.)/उद्यान।
समस्त जिला विस्तार अधिकारी।

विषयः- कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा उच्च अध्ययन हेतु असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृति के संबंध में।
प्रसंगः- वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.2022 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा प्रासंगिक परिपत्र में एक राजकीय कर्मचारी को किसी पाठ्यक्रम/उच्च अध्ययन करने हेतु असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया था। प्रायः देखने में आया है कि उक्त परिपत्र के संदर्भ में विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा बी.एड व अन्य पाठ्यक्रम जो विभाग/पद के कर्तव्य से संबंधित नही हैं, में प्रवेश लेने हेतु बहुत अधिक संख्या में प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त प्रकरणों के संबंध में प्रशासनिक विभाग के स्तर से मार्गदर्शन चाहा गया था, जिसमें प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि बी.एड व अन्य पाठ्यक्रम जो विभाग/पद के कर्तव्य से संबंधित नही हैं, को करने हेतु असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नही है।

अतः आपके अधीन कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों के बी.एड व अन्य पाठ्यक्रम जो विभाग/पद के कर्तव्य से संबंधित नही हैं, को करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा दिये गए निर्देशों की पालना में प्रकरण आयुक्तालय को प्रेषित नही करावें।

नोटः- यह निर्देश केवल वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.2022 के संबंध में दिये गए हैं।

31/3/22
(के.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक प.2(3)(ब)(3370) आ.कृ/23414-23539 दिनांक : 31/3/22

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-</u>

1. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

31/3/22
(के.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)